



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 310 राँची, शुक्रवार,

12 जून, 2026 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 मई, 2026

विषय: गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राज्य समुचित प्राधिकारी का पुनर्गठन ।

पत्रांक-9/RCH-233/2020-155(HSH)-- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा तत्काल प्रभाव से, झारखण्ड के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को “राज्य समुचित प्राधिकारी” (State Appropriate Authority) का पुनर्गठन निम्न अनुसार होगा :-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड (पदेन) - | अध्यक्ष |
| 2. | अध्यक्ष/प्रतिनिधि राज्य महिला आयोग, झारखण्ड - | सदस्य |
| 3. | विधि विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य |

यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

धारा 17 की उप-धारा (3) के अनुसार, पदेन (Ex-Officio) सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होकर तीन (03) वर्षों का होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार
कल्याण विभाग ।
